न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—237/2021/225 आर.टी.एक्ट (2021/237)

1. रघुवीरसिंह पुत्र श्री केसर सिंह जाति राजपूत, निवासी जेठाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर

अपीलांट

बनाम

1. सुखपाल पुत्र नाथ जाति जाट
2. केशवसिंह पुत्र प्रभू सिंह जाति राजपूत
3. दीपक सिंह पुत्र प्रभू सिंह जाति राजपूत
4. पुष्पा कंवर पत्नि प्रभू सिंह जाति राजपूत
5. उगम कंवर पत्नि प्रताप सिंह जाति राजपूत (मृतक)
6. गणपत सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति राजपूत
7. दिनेश सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति राजपूत
8. सुखपाल सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति राजपूत
   समस्त निवासी ग्राम जेठाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पीसांगन

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन, विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.10.2021 राजस्व वाद संख्या 59/2020

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रूपक शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 09
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4, 6 से 8 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 12.02.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 59/2020 में पारित आदेश दिनांक 06.10.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपीलांटस एवं शेष रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात वर्तमान अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 की सहखातेदारी की भूमि खसरा संख्या 332, 336, 337 व 324 पर आने जाने के लिए गै0मु0 रास्ता खसरा सख्या 320 व 321 में मुर्तिब है जो ग्रेवल रोड बनी हुई है एवं यह रिकार्डेड रास्ता है इसी रास्ते का

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

सदैव से रेस्पोडेंट संख्या 1 तथा उसके सभी सहखातेदार उपयोग एव उपभोग करते आ रहे है। जैसा कि खसरा संख्या 336 व 324 के पश्चिम दिशा की ओर जुडता हुआ खसरा सख्या 322 व 323 में होकर वर्तमान में सुचारू रूप से चालू गै0मु0 रास्ता खसरा सख्या 321 व 320 पर लगता है जो सरल एवं सुलभ रिकार्डेड ग्रेवल रोड है एवं उक्त ग्रेवल रोउ मांगलियावस से पीसांगन मुख्य डामर रोड से जुडा हुआ है जिससे रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध होने के कारण रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुति के बाद तहसीलदार पीसांगन से मौका रिपोर्ट तलब की जिसके अनुसार खसरा संख्या 320 व 321 गै0मु0 रास्ता रिकार्ड में दर्ज होकर मौके पर ग्रेवल रोड के रूप में चालू है खसरा संख 321 के लगते हुए खसरा सख्या 324व 325 है जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 का हिस्सा दर्ज है, इससे लगते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 333, 336, 337 एक्र चक के रूप में हैं जो खसरा संख्या 336 व 324 से लगता हुआ है एवं 324 से लगता हुआ खसरा सख्या 321 व 320 गै0मु0 रिकार्डेड रास्ता है इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास रास्ता उपलब्ध है एवं नया रास्ता प्रदान करने से इंकार किया तथा यह भी अंकित किया कि खसरा संख्या 360 से कदीमी रास्ता था, जो अप्रार्थीगणों ने बंद कर दिया उक्त रिकार्ड के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमा दिया लेकिन अवरूद्ध रास्ते को खोलने बाबत ग्राम पंचायत जेठाना को निर्देशित कर दिया। अतः तथाकथित कथन जो अवरूद्ध रास्ते को खोलने बाबत निर्देश प्रदान किए गए है की हद तक प्रार्थी उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा पारित निर्णय अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 59/2020 में पारित आदेश दिनांक 06.10.2021 जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 एवं उनके सहखातेदारों के खेत खसरा संख्या 332, 336, 337 तक आने जोन के लिए खसरा सख्या 320 व 321 पर रिकार्डेड आम रास्ता ग्रेवल रोड के रूप में मौजूद है जिसे रेस्पोडेंट संख्या 1 व उसके सहखातेदारान पीढियों से प्रयोग करते आ रहे है जो तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से भी सिद्ध है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। खसरा संख्या 360 वर्तमान अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 7 की खातेदारी की भूमि है जिसके पूर्व दिशा में तालाब की पाल अवस्थित है तथा पाल के पश्चात पूर्व दिशा में नाला अवस्थित है चूंकि खसरा सख्या 360 से ही वर्तमान अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 7 की सहखातेदारी की आराजीयात है खसरा सख्या 338, 339, 340, 341, 342 एवं 359 अवस्थित है जो एक चक के रूप में दर्शित है खसरा संख्या 360 के दक्षिणी सीमा तक पाल से लगता हुआ रास्ता है जिससे वर्तमान अपीलांट एवं रेसपोडेंट संख्या 2 लगायत 7 पाल की तलहेटी में होते हुए पाल के नीचे नीचे उत्तर दिशा की ओर गमन कर खसरा संख्या 360 में प्रवेश करते है तत्पश्चात अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 7 के खेत प्रारम्भ हो जाते है। इस प्रकार खसरा सख्या 360 एवं उसके पश्चात उत्तर दिशा में कोई रास्ता कभी भी अवस्थित नहीं रहा है न ही रिकार्डेड रास्ता है न ही कटाणी रास्ता है न ही पगडंडी है न ही मौके पर कभी रास्ता अवस्थित रहा है मात्र तालाब की पाल से खसरा सख्या 360 की दक्षिणी मेड तक रास्ता है उसके पश्चात उत्तर दिशा में किसी भी किस्म का कोई रास्ता अवस्थित नहीं है और न ही अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 7 द्वारा बंद किया गया। जिससे मौका रिपोर्ट की अंतिम पंक्ति भी त्रुटिपूर्ण अंकित की गई है एवं उक्त त्रुटिपुर्ण रिपोर्ट के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई रास्ता हुए बंद रास्ते को खोलने हेतु ग्राम पंचायत को निर्देश कर दिया गया है जबकि मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे के अनुसार भी खसरा संख्या 360 की दक्षिणी मेड से उत्तर की ओर कोई रास्ता दर्शित नहीं है। जिससे ग्राम पंचायत को बंद रास्ता खोलने हेतु प्रदत्त निर्देशों की हद तक

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय काबिल निरस्त योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 59/2020 में पारित आदेश दिनांक 06.10.2021 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी ने जरिए अभिभाषक के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राज0काश्0अधि0 1955 का अप्रार्थी के विरूद्ध इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 332, 336, 337 ग्राम जेठाना तहसील पीसांगन में अवस्थित है। प्रार्थी को उक्त आराजी पर आने जाने के लिए खसरा संख्या रास्ता 386 से रास्ता संख्या 366, 397, 398, 362, 361, 360, 339 में से होकर जाना पडता है। खसरा संख्या 366, 397, 398 सिवायचक आराजी है तथा खसरा संख्या 362 361, 360 339 की आराजी अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के नाम दर्ज है प्रार्थी के पास इसके अतिरिक्त कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से 30 फिट चौडा रास्ता उपलब्ध कराया जावे। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. सर्वप्रथम अपील को मियाद अवधि के संदर्भ में देखा गया अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 59/2020 में पारित आदेश दिनांक 06.10.2021 का है। न्यायालय हाजा में वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 8.11.2021 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है अपील अंदर मियाद है।

7. स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित मौके पर रास्ता नहीं होने के बावजूद बंद रास्ते को खोलने बाबत ग्राम पंचायत को प्रदत्त निर्देशों की हद तक निर्णय कतई अवैधानिक होकर इस हद तक उनके द्वारा पारित आदेश की कियान्विति पालना व प्रभाव स्थगित किया जाना न्यायोचित है क्यों कि खसरा संख्या 360 के दक्षिण मेड के उत्तर की ओर रिकार्ड पर अथवा मौके पर कभी भी कोई रास्ता अवस्थित नहीं रहा है। उक्तानुसार उपर अंकित हद तक कियान्विति यदि स्थगित नहीं की गई तो प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 7 के खातेदारी खेतों में अवैधानिक रूप से नया रास्ता निर्मित कर दिया जाएगा जिससे अपूर्णीय क्षति होगी साथ ही प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में बताया अंत में निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6.10.2021 की रास्ते को खोलने हेतु ग्राम पंचायत को प्रदत्त निर्देशों की हद तक कियान्विति पालना व प्रभाव तथा आगे की जाने वाली कार्यवाही को अपील निस्तारण तक स्थगित किया जाए।

8. बहस उभयपक्ष अभिभाषक सुनी गई वकील अपीलांट ने बहस में बताया कि विवादित भूमि ग्राम जेठाना तहसील पीसांगन में स्थित है। सुखपाल रेस्पोडेंट 8 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर दिनांक 6.10.2021 को आदेश जारी किया गया है। रेस्पोडेंट सुखपाल द्वारा सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 332,336,337,386,366 से होते हुए रास्ता मांगा गया है। कुछ खसरा नम्बर सरकार के नाम दर्ज है 366,397,398 खसरा नम्बर 362,361 अपीलांट के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 322,323 से होकर लघुत्तम रास्ता है। सिर्फ 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र लगाया गया है जबकि 11 और अन्य सहखातेदार भी है। तहसीलदार द्वारा खसरा नम्बर 320,321 में ग्रेवल रोड बनी हुई है वैकल्पिक रास्ता बताया उपखण्ड अधिकारी ने खारिज किया। उक्त खारिज की रेस्पोडेंट 8 द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं की गई। रोके गए रास्ते को खुलवाने बाबत अपील थी आदेश का लास्ट पैरा देखे। उपखण्ड अधिकारी के आदेश रास्ते को खुलवाने बाबत है ना की नए रास्ते के निर्माण हेतु हैं। उक्त निर्णय में यह स्पष्ट नहीं है कि रास्ता कब बंद किया किसने व किस सेक्शन हिस्से में बंद किया। इस रास्ते से हमारा आना जाना है। रिकार्डेड रास्ते बाबत कोई सबूत नहीं है आदेश की अंतिम लाईन हटा दी जाए यह पीडित नहीं है। वकील रेस्पोडेंट ने बहस में बताया कि 1 से 7 ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

आपत्ति प्रकट नहीं की है सिर्फ रेस्पोडेंट 8 अपीलांट बनकर आया है हमारे रास्ते बाबत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। मौका रिपोर्ट पैरा 2 में कदीमी रास्ते को बंद करना बताया है रघुवीर ने रास्ता बंद किया है। अब कम्पलाईस के बाद अपील इनफैकसियस हो गई है कदीमी रास्ता सभी काम में ले रहे है सहखातेदार होने से कोइ एक भी दावा कर सकता था ग्रेवल सडक बहुत दूर है कदीमी रास्ता नजदीक है। हमें पक्षकार क्यों बनाया।

9. रिवूटल में वकील अपीलांट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार होने से इन्हें पक्षकार बनाया गया है (आदेश 1 सीपीसी के तहत)। खसरा नम्बर 360 भाई बंटवारे में मुझे प्राप्त हुआ है। खसरा नम्बर 360 के उपर खसरा नम्बर 339 जो प्रभुसिंह के वारिस है और प्रभुसिंह मेरा भाई है। फिर इनका खसरा नम्बर 337 है। मात्र सीमाज्ञान रिपोर्ट है अतिकमण हटाने बाबत नहीं। कोई रास्ता खोलने बाबत जिक नहीं।

10. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.10.2021 का अंतिम पैरा निम्नानुसार है– **तहसीलदार पीसांगन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के सहखातेदारी के खसरा सख्या 324 व 325 के लगता हुआ 320 एवं 321 किस्म गै0मु0 रास्ता उपलब्ध है तथा रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खसरा संख्या 333, 336, 337 एक चक के रूप में है तथा खसरा संख्या 336 खसरा संख्या 324 के लगता हुआ है अर्थात गै0मु0 रास्ते खसरा संख्या 321 से जुडा हुआ है अतः प्रार्थी को रास्ते की आत्यतिक आवश्यकता साबित नहीं होती हैं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। साथ ही ग्राम पंचायत जेठाना को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार पीसांगन द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में जिस रास्ते को अवरूद्ध किया है उसे नियमानुसार खुलवा कर पालना रिपोर्ट पेश करे।**

रास्ते तथा अन्य निजी सुखाचार के अधिकार–(1) उस अवस्था में जब कोई भूमिधारी जो वस्तुतः रास्ते के अधिकार या अन्य सुखचार या अधिकार का उपयोग कर रहा हो अपने ऐसे उपभोग में बिना उसकी सहमति के कानून द्वारा निर्धारित प्रणाली के भिन्न तरीके से बाधित किया जाए तहसीलदार इस प्रकार बाधित भूमिधारी के प्रार्थना पत्र पर तथा उक्त उपभोग एवं बाधा के विषय में सरसरी जांच करने के पश्चात बाधा को हटाए जाने की अथवा बंद किए जाने की ओर प्रार्थी भूमिधारी को पुनः उक्त उपभोग करने देने की आज्ञा दे सकेगा चाहे इस प्रकार पुनः उपभोग किए जाने के खिलाफ तहसीलदार के समक्ष अन्य कोई हक स्थापित किया जाए। (2) इस धारा के अंर्तगत पारित कोई आज्ञा किसी व्यक्ति को ऐसे अधिकार या सुखाचार को स्थापित करने से विसर्जित नहीं करेगा जिसके लिए वह सक्षम दीवानी न्यायालय में नियमित रीति से वाद प्रस्तुत करके दावा कर सकता है।

12. उपरोक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि सुखपाल प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं होने से खारिज किया गया है। लेकिन साथ ही अप्रार्थीगण वर्तमान अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 360 तक कदीमी रास्ते को बंद कर दिया गया जैसा की तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.2.2021 में बिंदु संख्या 2 में उल्लेखित किया था को खुलवाने बाबत ग्राम पंचायत जेठाना को निर्देशित किया हुआ है बहस में वकील अपीलांट का मुख्य कथन भी यही था कि अपीलाधीन आदेश के इस हिस्से को जिसमें ग्राम पंचायत को रास्ता खोलने हेतु निर्देशित किया है को हटाया जाए। धारा 251 ए में प्रचलित रास्ते को चौडा करने एवं खातेदारी खेतों में नया रास्ता बनाने हेतु प्रावधान है। अपीलाधीन आदेश का आक्षेपित अंश धारा 251 आरटी एक्ट से संबंधित है ना कि धारा 251 ए से उपखण्ड अधिकारी को यह चाहिए था कि वह प्रार्थी को सक्षम अधिकारी के समक्ष रास्ता खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु उसे निर्देशित करते, मगर उपखण्ड अधिकारी द्वारा 251ए के प्रार्थना पत्र के निर्णय में 251 के प्रावधान को भी शामिल कर लिया गया जो मूल रूप से तहसीलदार को आवंटित कार्य है जिसे बाद में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के प्रथम 45 दिवस तक ग्राम पंचायत को भी सक्षम माना गया है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

उस खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं किया है जिस बाबत रास्ता खोले जाने हेतु निर्देशित किया है। उपखण्ड अधिकारी का आदेश खसरा नम्बर बाबत स्पेसिफिक नहीं है। अतः अपील को इन्फ्रक्सियस नहीं माना जा सकता है। अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

13. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अपीलाधीन आदेश के आक्षेपित अंश को साथ ही ग्राम पंचायत जेठाना को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार पीसांगन द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में जिस रास्ते को अवरूद्ध किया है उसे नियमानुसार खुलवा कर पालना रिपोर्ट पेश करे। अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 59/2020 में पारित आदेश दिनांक 06.10.2021 के इस हिस्से (बोल्ड हिस्से) को निरस्त किया जाता है शेष आदेश यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

12.2.2024
(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर